रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक संवत्) [संख्या 23

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	427–448	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	523–530	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	101–114	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	467–475	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

28 फरवरी, 2023 ई0

सं0 I/507471/2024–चयन वर्ष 2023-24 के रिक्त पदों के सापेक्ष शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/469589/2024-5-2001(002)/4/2023-2, दिनांक 11 जनवरी, 2024 द्वारा अपर निदेशक ग्रेड के 05 चिकित्साधिकारियों को निदेशक ग्रेड (वेतनमान-37,400-67,000 ग्रेड-पे 10,000 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-14) में प्रोन्नति प्रदान की गयी है। उक्त 05 चिकित्साधिकारियों की सूची में क्रमांक-01 पर डा0 चन्द्र शेखर (वरि0क्र0-7466) का नाम अंकित है।

2– डा0 चन्द्र शेखर (वरि0क्र0-7466), अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निदेशक ग्रेड में प्रदान की गयी उक्त प्रोन्नति को कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 में विहित व्यवस्थान्तर्गत शपथ-पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2024 के माध्यम से फारगो किया गया है।

3– प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 में दी गयी व्यवस्था एवं शर्तों के अन्तर्गत डा0 चन्द्र शेखर (वरि0क्र0-7466), अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा उपरोक्त पदोन्नति से किये गये इन्कार (Forgo) को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा शासन के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/469589/2024-5-2001(002)/4/2023-2, दिनांक 11 जनवरी, 2024 द्वारा डा0 चन्द्र शेखर (वरि0क्र0-7466) की अपर निदेशक ग्रेड से निदेशक ग्रेड में प्रदान की गयी प्रोन्नति को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

4– उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/469589/2024-5-2001(002)/4/2023-2, दिनांक 11 जनवरी, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

अनुभाग–5

30 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 1199/पांच-5-2023–उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित दन्त सर्जनों (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0-56,100-1,77,500) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ दन्त सर्जन (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रु0-67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र0सं0	वरि0क्रं0	नाम
1	2	3
1	93	डा0 बृज बलवन्त स्वरूप
2	114	डा0 सुधीर कुमार सिंह
3	124	डा0 जय प्रकाश गुप्त
4	135	डा0 रमा शंकर विद्यार्थी
5	139	डा0 श्रीकान्त प्रसाद

1	2	3
6	158	डा0 विवेक यादव
7	169	डा0 राम दयाल मौर्या
8	186	डा0 गरिमा तिवारी
9	187	डा0 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव
10	188	डा0 शाकिब आलम खान
11	189	डा0 राजेश सिंह
12	191	डा0 मेराज बानो
13	192	डा0 सौरभ मिश्रा
14	195	डा0 श्वेता रानी
15	197	डा0 मनीषा अग्रवाल
16	198	डा0 मिथिलेश
17	199	डा0 अभिजीत सिंह
18	201	डा0 सौम्या
19	202	डा0 नीलिका जौहरी

2– क्रमांक-1, 2, 5, 6 एवं 7 पर अंकित क्रमशः डा0 बृज बलवन्त स्वरूप, डा0 सुधीर कुमार सिंह, डा0 श्रीकान्त प्रसाद, डा0 विवेक यादव एवं डा0 राम दयाल मौर्या को कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नत तथा उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान की जीती है।

3– उपर्युक्त प्रोन्नत दन्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

19 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 1361/पांच-5-2023–उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परामर्शदाता (वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रु0-78,800-2,09,200 ग्रेड पे-7,600) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक/ज्येष्ठ परामर्शदाता (वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 रु0-1,23,100-2,15,900 ग्रेड पे-8,700) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	डा0 जय प्रकाश वर्मा	66
2	डा0 मणिकान्त गुप्ता	70
3	डा0 रत्ना गुप्ता	74
4	डा0 भारती चतुर्वेदी	77
5	डा0 प्रमोद कुमार	90

1	2	3
6	डा0 सुचेता कुमारी गुप्ता	95
7	डा0 गीता सिंह	98
8	डा0 हेमलता सक्सेना	105
9	डा0 पायल गुप्ता	109
10	डा0 नवीन कुमार वर्मा	113
11	डा0 आलोक राय	116
12	डा0 संगीता सिंह	118

2– उपर्युक्त प्रोन्नत दन्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
विनोद कुमार,
विशेष सचिव।

अनुभाग–3

08 फरवरी, 2024 ई0

सं0 312/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (जनरल फिजीशियन) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 312/चि0-3-2024, दिनांक 08 फरवरी, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500003465	7	डा0 सैय्यद अहमद हुसैन काजमी पुत्र श्री सैय्यद यावर हुसैन काजमी	जनरल फिजीशियन	UR/ GEN	53620ए ब्रम्ह नगर, नियर शिया पी0जी0 कालेज, सीतापुर रोड़, लखनऊ, उ0प्र0- 226020	459123 सी ब्लॉक मेहताब बाग फेस-2 हुसैनाबाद, लखनऊ, उ0प्र0- 226003	जिला चिकित्सालय रायबरेली

सं0 313/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 313/चि0-3-2024, दिनांक 08 फरवरी, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र-व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500007452	1	डा0 स्वाती सारस्वत पुत्री/पत्नी श्री रविन्द्र शर्मा	पब्लिक हेल्थ	GEN/ EWS FEMALE	रविन्द्र शर्मा 52/2, सेक्टर-3 विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012	रविन्द्र शर्मा 52/2, सेक्टर-3 विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा

सं0 314/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 314/चि0-3-2024, दिनांक 08 फरवरी, 2024 की तैनाती सूची–

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500011756	3	डा0 अरू शिखा सिंह पुत्री/पत्नी श्री महिपाल सिंह	मनोरोग विशेषज्ञ	GEN/ EWS FEMALE	भूपिन्दर सिंह, ओम नगर, टूण्डला, फिरोजाबाद, उ0प्र0- 283204	भूपिन्दर सिंह, दीपक विहार कालोनी, टेड़ी बगिया, आगरा उ0प्र0- 282006	जिला चिकित्सालय मैनपुरी

सं0 315/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 315/चि0-3-2024, दिनांक 08 फरवरी, 2024 की तैनाती सूची–

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500020851	2	डा0 अभिषेक कुमार पुत्र श्री देविन्दर कुमार	हड्डी रोग विशेषज्ञ	GEN/ EWS	अभिषेक कुमार F ब्लॉक-19-15 दिल्ली-110051	अभिषेक कुमार F ब्लॉक-19-15 दिल्ली-110051	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजयनगर, गाजियाबाद

आज्ञा से,
धीरेन्द्र सिंह सचान,
विशेष सचिव।

अनुभाग–7

अधिसूचना

29 फरवरी, 2024 ई0

सं0 191/पांच-7-2024–जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-7(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विषय से सम्बन्धित विद्यमान अधिसूचना संख्या 1925/पाँच-7-2016-रिट-201/2010, दिनांक 30, जनवरी, 2017 को यथा संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राधिकारियों को क्रमशः स्तम्भ-4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य करने के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त करती हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	प्राधिकारी	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये पदनाम	स्थानीय क्षेत्र
1	2	3	4
नगरीय क्षेत्र–			
1	नगर निगमों के उप नगर आयुक्त/जोनल अधिकारी	रजिस्ट्रार	सभी नगर निगमों स्थानीय क्षेत्र के भीतर उनके सम्बंधित जोन के अधीन आने वाले क्षेत्र/वार्ड।
2	सभी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डो के अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	,,	उनकी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र/वार्ड।
3	नोएडा/ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी।	,,	नोएडा/ग्रेटर नोएडा के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
4	उनके औद्योगिक नगरों (Industrial Township) के प्रभारी चिकित्साधिकारी	,,	उनके औद्योगिक नगरों (Industrial Township) भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र/वार्ड।
ग्रामीण क्षेत्र–			
5	ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक।	,,	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये स्तम्भ-2 में वर्णित कोई एक पदाधिकारी (ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों के लिये) जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायेगी एवं रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थान (पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बहुउद्देशीय सरकारी भवन) भी चिन्हित किया जायेगा।
राजकीय चिकित्सा संस्थान–			
6	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/राजकीय जिला चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय/राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा उप-केन्द्र (Sub Center) पर कार्यरत सहायक नर्सिंग मिडवाईफरी (A.N.M.)।	,,	उनके राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/राजकीय जिला/राजकीय महिला/राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्र (Sub-Center) आदि पर होने वाले सभी जन्म-मृत्यु। नोट– उप-केन्द्र (Sub-Center) पर कार्यरत सहायक नर्सिंग मिडवाईफरी (A.N.M.) द्वारा केवल उप-केन्द्र की परिधि के भीतर होने वाली घटनाओं का पंजीकरण किया जायेगा, उप-केन्द्र से बाहर होने वाली घटनाओं का पंजीकरण सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा ही किया जायेगा।

रजिस्ट्रार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व–

धारा 7(2) से 7(4) के अनुसार प्रत्येक रजिस्ट्रार–

1– धारा-8 या 9 के तहत बिना किसी फीस या पुरस्कार के ही रजिस्टर में सूचना का संधारण करना जो जन्म या मृत्यु उसके क्षेत्राधिकार में हुई है उनका ध्यानपूर्वक पता करना और अपेक्षित विवरणों को रजिस्टर करना।

2– प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र मे होगा जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो।

3– प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समय पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार निर्देश दे, उपस्थित रहेगे और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के ही किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगाना, जिस पर उनके नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिये वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय

पंजीकरण यूनिट का नाम (ग्राम पंचायत का नाम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि) एवं कोड ..... पंजीकरण यूनिट (ग्राम पंचायत/नगरीय) के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों के नाम/कोड अथवा वार्ड का नाम/कोड ..... रजिस्ट्रार का नाम .....

रजिस्ट्रार का मोबाइल नम्बर ..... कार्य दिवस ..... समय .....

बच्चे का जन्म पंजीकृत किया जाना, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।

रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

4– अधिनियम की धारा-7(2) के अंर्तगत स्वप्रेरणा (Sou-Moto) रजिस्ट्रेशन इससे अभिप्राय रजिस्ट्रार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में घटित जन्म और/अथवा मृत्यु की ऐसी किसी भी घटना को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने से है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई है।

5– बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन, यदि जन्म बिना नाम के रजिस्ट्रीकृत है (धारा-14)।

6– जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को सही या निरस्त करना (धारा-15)।

7– रिकार्ड (जन्म, मृत जन्म, और मृत्यु रजिस्टर) का सुरक्षित संधारण और रिकार्ड की गई सूचना की शुद्धता व यथातथ्य को सुनिश्चित करना (धारा-16, 19)।

8– जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि की खोज करना [धारा-17(1) (अ) और 17 (1) (ब)]

(क) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निधीरित प्रविष्टियों का उद्धरण जारी करना।

(ख) अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करना।

9– निर्धारित अधिकारी को मासिक रिपोर्ट जमा करना [धारा-19 (1)]।

10– जहाँ एम0सी0सी0डी0 योजना क्रियान्वित हो रही है वहाँ मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

11– जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा हो रजिस्ट्रार फॉर्म संख्या-5 (जन्म के लिये) और फॉर्म-संख्या 6 (मृत्यु के लिये) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित उद्धरण रजिस्ट्रेशन के लिये सूचना देने वाले को मुफ्त में देना है धारा-12)। इस फॉर्म में जो प्रविष्टि हैं वे जन्म और मृत्यु रजिस्टर में निर्धारित प्रविष्टियों का ही उद्धरण है। यह उद्धरण सामान्यतः जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र के नाम से भी जाना जाता है। जिसने घटना की सूचना दी है उस व्यक्ति को उद्धरण की पहली कॉपी (कम्प्यूटराइज्ड) मुफ्त में देनी है। (धारा-12)

12– रजिस्ट्रार जब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अर्न्तगत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा-21 के अर्न्तगत लोकसेवक समझा जाएगा। (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा-26)

रजिस्ट्रार से रिपोर्टिंग से 30 दिन के अन्दर जन्म या मृत्यु का उद्धरण प्राप्त कर सकता है। [नियम-8(2) से 8 (4), धारा-12] । इस नियम के तहत जन्म या मृत्यु उद्धरण प्राप्त नहीं किये हों ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रार या अधिकारी या सम्बन्धित संस्था के प्रभारी को उद्धरण सम्बन्धित परिवार को ऊपर बतायी गयी अवधि से 15 दिन अन्दर डाक से भेज दें [नियम-8 (5), धारा-12]।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को सभी रजिस्ट्रारों को संलग्न प्रारूप पर नियुक्ति-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जो कि नियुक्ति-पत्र जारी करने के उपरान्त अपने जिले के सभी रजिस्ट्रारों की रजिस्ट्रेशन इकाईवार पूर्ण विवरण की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए उ0प्र0 लखनऊ एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी0आर0एस0), जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, पैरा-1 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को उनके सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रारों को जारी किये जाने वाले नियुक्ति-पत्र का प्रारूप

जिला का नाम– ..... जिला का कोड– .....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री (नाम) .....

मोबाइल नम्बर .....

पदनाम .....

कार्यालय का पता .....

विषय–जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ..... दिनांक ..... (फोटोप्रति संलग्न) के द्वारा मुझे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको ग्राम पंचायत ..... के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों यथा–

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

के लिए रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त करता हूँ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा-21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा। (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा-26)। जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य के लिए आपके कार्यालय का पता निम्नानुसार होगा–

जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय का पूरा पता–

.....

.....

.....

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/जिलाधिकारी

दिनांक ..... मुहर .....

(नियुक्ति-पत्र की एक प्रति मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश को एवं एक प्रति संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी0आर0एस0)/निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जानी है)

आज्ञा से,
पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव।

MEDICAL DEPARTMENT

Section-7

NOTIFICATION

February 29, 2024

No. 191(1)/V-7-2024–In pursuance of the provisions of section 7(1) of the RBD act 1969 and in supersession of already existing notification no. 1925/Five-7-2016-Writ-201/2010 dated 30.01.2017 The governor exercises his power to notify to appoint a Registrar for each local area within the jurisdiction of a municipality, panchayat or of the local authority as depicted in colum no 2 below for the areas mentioned in colum no 4–

Sl. No	Officer/Employee	Designation for birth and death registration	Local area
1	2	3	4
Urban area-			
1.	Deputy municipal commissioner/ Zonal officer of Nagar Nigam.	Registrar	For Local areas/Zones of Nagar Nigam
2.	Executive officer/Chief Executive officer of Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat/Canttonment Board	Registrar	For local areas of Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat/Canttonment Board
3.	Administrative officer of Noida /Greater Noida	Registrar	For local areas
4.	Medical Officer Incharge of Industrial Township	Registrar	For local areas
Rural area-			
5.	Gram Vikas Adhikari/ Gram Panchayat Adhikari/ Lekhpal/ Head master/ In-charge of primary schools	Registrar	For all the revenue villages falling under any Gram Panchayat Any one amongst the officers/employee mentioned in colum 2 will be appointed Registrar by the District Magistrate/ District Registrar (birth and death) of the district. (their working place *i.e.* Panchayat bhawan, Govt. school, multi purpose hall will be ear marked)
State Medical Institution			
6.	Chief Medical Supdt./supdt. / M.O Incharge of State Medical Institution/ State Medical colleges and their associated Hospitals/District Hospitals/District Women Hospitals / District Combined Hospitals/ Community Health Centres / Primary	Registrar	For all the Birth/Death occurring State Medical Institution/State Medical colleges and their associated Hospitals/District Hospitals/District Women Hospitals/District Combined Hospitals'/Community Health Centres/ Primary Health Centres/Sub Centres.

1	2	3	4
State Medical Institution			
	Health Centres / Auxiliary Nursing Midwifery (A.N.M.)		**NOTE**- The incidents occurring within the perimeter of the sub-centre will be registered by the Auxiliary nursing midwifery (A.N.M) working at the sub-centre, the incidents occurring outside the sub-centre will be registered by the concerned local registrar (birth-death).

Duties and Responsibilities of Registrar

As per section 7(2) to 7(4), every registrar/sub-registrar shall.

1. Without fee or reward, enter in the register maintained for the purpose all information given to him under section 8 or section 9 and shall also take steps to inform himself carefully of every birth and of every death which takes place in his jurisdiction and to ascertain and register the particulars required to be registered.

2. Have an office in the local area for which she/he is appointed, and

3. Attend her/his office for the purpose of registering births and deaths on such days and at such hours as the chief registrar may direct and shall cause to be placed in some conspicuous place on or near the outer door of the office of the registrar a board bearing, in the local language, his name with the addition of registrar of births and deaths for the local area for which she/he is appointed, and the days and hours of her/his attendance as under.

OFFICE OF THE REGISTRAR BIRTH AND DEATH

Registration unit name (Name of the Gram Panchayat, Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchayat and others) and code…….. registration unit (Gram Panchayat/Urban) for all the revenue villages/code name Ward/ code ..... name ……..Working Days ……..time…….

A Child's birth registration is his/her birth right.

Registrar(Birth and Death)

4. Suo moto registration of event [section 7 (2)]. this would mean that registrar should take cognizance of birth or death events that have occurred in the area under her/his jurisdiction but not been reported for registration.

5. Registration of name of child, If birth is registered without the name [section 14]

6. Correction and cancellation of entry in the birth and death register [section 15]

7. Maintaining custody of records (register of birth, still births and deaths) and ensure accuracy and correctness of particulars recorded therein [section16,19].

8. Search of any entry in the birth and death register [section 17(1)(a) and 17(1)(b)]-

(a) Issuance of extract of prescribed particulars from the register of births and deaths.

(b) Non-availability certificate.

9. Submit monthly reports to prescribed authority [section 19 (1)],

10. Obtain a certificate as to the cause of death where the scheme of MCCD is implemented.

11. As soon as the registration is completed registrar shall give form 5 (for birth) and form 6 (for death) an extract of the prescribed particulars from the register birth and deaths, free of charge, to the person who has given the information for registration, first copy (whether computerised) free of the charge [section 12].

12. It will not be out of place to mention that registrar/sub registrars while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of the RBD act or any rule or order made there under shall be deemed to be public servants within the meaning of section 210f the Indian penal code (45 of 1860) [section 26]

The person concerned may collect the extracts of birth or death from the registrar (for domiciliary event) and the officer or person-in-charge of the institution (for institutional events) within thirty days of its reporting [rule8(2) to8(4) section 12]in case the extracts of birth and death is not collected as required under such rule of section 12, the registrar or the officer or person in charge of the concerned institution shall transmit the same to the concerned family by post within 15 days of expiry of the said period.

All the district magistrates/ district register (birth and death) are empowered to appoint registrar for their district and information to this effect shall be furnished to the Chief Register (birth and death)/D.G. Medical and Health U.P. and Joint Registrar General & Director census operations U.P

All Registrars while acting or purporting to act in pursuance of the provision of this act or any rule or order made there under be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian penal code (45 of 1860) (Section 26).

Format of Appointment letter to Registrar for Registration of Birth and Death to be Issued

Name of District---------- District Code----------

To,

Shri/Smt/Km/(Name)----------

Mobile No----------

Designation----------

Office Address----------

Subject- Appointment as Registrar (Birth-Death) under the sections of Registration of Birth and Death Act 1969.

Under the sections of Registration of Birth- Death Act 1969 and notification no. ---------- dated ---------- (Photocopy Attached) vide Government of Uttar Pradesh, The delegation of Power authorize me, to appoint you for Gram Panchayat ----------

For all the revenue villages falling under as-

1----------

2----------

3----------

4----------

As Registrar (Birth-Death)

Registration Act 1969 or any rules which comes in, or working in pursuant to any released order then you would be considered as a Public servant of Indian penal code (45 of 1860) under section 21 (Section 26 of Registration Act of Birth-Death)

Full address of your office For Registration of Birth-Death would be as follows-

Registration of Birth-Death office with complete address-

Place ----------

Signature ----------

District Registrar

(Birth and Death)/District Magistrate

Seal ----------

Date ----------

(An Additional copy of Appointment letter is to be Submitted to Chief Registrar (Birth-Death), Uttar Pradesh and a copy of the same is also to be submitted to Joint Registrar General of Uttar Pradesh)

By Order,
Partha Sarthi Sen Sharma,
Principal Secretary.

चिकित्सा विभाग

अनुभाग–3

06 मार्च, 2024 ई0

सं0 620/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (निश्चेतक) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 620/चि0-3-2024, दिनांक 06 मार्च, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500015053	36	डा0 सुमित पुत्र श्री परशुराम यादव	निश्चेतक	UR/ OBC	346, गौरा मुहम्मदपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224155	346, गौरा मुहम्मदपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224155	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर

सं0 621/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (बालरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 621/चि0-3-2024, दिनांक 06 मार्च, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500015424	29	डा0 सिंह कुंवर रविजीत हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह	बालरोग	UR/ EWS	जे-307 गीता पैलेस गीता नगर फेज-06, मीरा रोड थाने महराष्ट्र-401107	जे-307 गीता पैलेस गीता नगर फेज-06, मीरा रोड थाने महराष्ट्र-401107	200 बेड एम0सी0एच0 विंग, खोह, चित्रकूट

सं0 622/चि0-3-2024–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (जनरल सर्जन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

2–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्रागवृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003

एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)–दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)–उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)–ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4)–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)–चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)–एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)–मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय-ज्ञाप सं0 622/चि0-3-2024, दिनांक 06 मार्च, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500006888	18	डा0 मो0 नाजीम पुत्र श्री एम0डी0 हबीब	जनरल सर्जन	UR/ GEN	मो0 शजीम, ए-1802 एपेक्स द कमलिन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद-201009	फ्लैट नं0-71 रूद्र बाके बिहारी रेजीडेन्सी दौलतपुर रोड पाण्डेयपुर, वाराणसी-221002	मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़

आज्ञा से,
धीरेन्द्र सिंह सचान,
विशेष सचिव।

अनुभाग–2

प्रोन्नति

11 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/516405/2024–तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रुपये 37,400-67,000 ग्रेड पे-8,900 पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रुपये 37,400-67,000 ग्रेड पे-10,000 पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14) के रिक्त पद के सापेक्ष उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रम सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	डा0 हरी दास अग्रवाल	7557
2	डा0 साधना राठौड़	7581

2– उपर्युक्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
रंजन कुमार,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

March 01, 2024

No. 115–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100–2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	4035	Sri Rajesh Kumar Mehrotra

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 116–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800–2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(*S/Sri*)-
1	6065	Ashok Kumar Srivastava
2	6066	Niranjan Singh

No. 117–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700–2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(*S/Sri*)-
1	7164	Sharad Kumar
2	7157	Sandeep Kumar Ojha

No. 118–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 – 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(*S/Sri*)-
1	7603	Mukesh Kumar
2	7604	Pawan Kumar Sharma
3	7605	Amit Nigam, *Lko.*

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Ganga Sagar Tripathi (Emp. No. 4071), Joint Registrar and Sri Sarvesh Kumar Singh (Emp. No. 6063), Deputy Registrar, both posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri Rajesh Kumar Mehrotra (Emp. No. 4035), posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Niranjan Singh (Emp. No. 6066), posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Sri Amit Nigam (Emp. No. 7605), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Section Officer).

March 13, 2024

No. 119–Sri Manoj Kumar (Emp. No. 4034), Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby granted notional promotion to the post of Section Officer *w.e.f.* 22.12.2015 A.N., the date his junior Sri Jagdish Prasad Maurya (Emp. No. 4018) was promoted as Section Officer, with consequential fixation of his pay and seniority on the post of Section Officer. He will not be entitled for any arrears of pay for the period of his notional promotion preceding the date of his actual promotion as Section Officer.

March 15, 2024

No. 120–From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 – 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7608	Sri Rakesh Dwivedi, *Lko.*

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Rakesh Dwivedi (Emp. No. 7608), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Section Officer).

By order of the Hon'ble Court,
Rajeev Bharti,
Registrar General.

ESTABLISHMENT SECTION

April 01, 2024

No. 01–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III of High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	1509	Sri Om Krishna Choudhary	In the vacancy occurred on account of retirement of Sri Rakesh Singh (Emp. No. 1465) from the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV on 31.03.2024.

No. 02–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court, Allahabad, Lukcnow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3518	Sri Ram Bir Singh, *Lko.*	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Om Krishna Choudhary (Emp. No. 1509).

No. 03–From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3643	Sri Jitendra Kumar Patel	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Ram Bir Singh, *Lko.* (Emp. No. 3518).

[*The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts and repatriation of officers who are presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any*].

No. 04–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100–2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	6036	Sri Rajesh Mahendra

No. 05–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, in pay scale of Level-12 (Rs. 78,800– 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7178	Sri Avishkar Srivastava

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

No. 06–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby provisionally promoted as Registrar, subject to successful completion of training programme conducted by J.T.R.I, Lucknow under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, in pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3295	Sri Arun Kumar-II

No. 07–From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700–2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7166	Sri Indra Deo

No. 08–From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad at Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100–1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7609	Sri Arun Kumar Lal, *Lko.*

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(One post of Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs.1,23,100–2,15,900), kept reserved)

(In view of prevailing transfer policy, Sri Devi Shankar (Emp. No. 3291), Registrar and Sri Bhanu Pratap Singh (Emp. No. 4062), Joint Registrar, both posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri Arun Kumar-II (Emp. No. 3295), posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Arun Kumar Lal (Emp. No. 7609), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Section Officer).

April 19, 2024

No. 09–From the date of taking over charge, Sri Sajal Das, (Emp. No. 2006), Systems Analyst, High Court Allahabad is hereby promoted to the post of Senior Systems Analyst, in the pay scale of Level-12 (Rs. 78,800–2,09,200) as per 7th Pay Commission.

No. 10–From the date of taking over charge, Sri Sanjay Kumar Kushwaha, (Emp. No. 2011), Programmer Grade-1, High Court Allahabad is hereby promoted to the post of Systems Analyst, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700–2,08,700) as per 7th Pay Commission.

April 30, 2024

No. 11–Sri Manoj Kumar (Emp. No. 4034), Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby granted notional promotion to the post of Assistant Registrar *w.e.f.* 09.09.2019 A.N., the date his junior Sri Jagdish Prasad Maurya (Emp. No. 4018) was promoted as Assistant Registrar, with consequential fixation of his pay and seniority on the post of Assistant Registrar.

No. 12–Sri Dheeraj Kumar Srivastava (Emp. No. 7413), Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted to the post of Section Officer notionally *w.e.f.* 01.06.2021 A.N., the date his junior Sri Sushil Kumar Pathak (Emp. No. 7414) has been promoted as Section Officer, along with all consequential benefits except arrears of salary (if any) for the period of his notional promotion preceding the date of actual promotion. His name is placed above the name of Sri Sushil Kumar Pathak (Emp. No. 7414) in the gradation list of Section Officer.

No. 13–From the date of taking over charge, Shri Sanjeev Kumar Sachdeva (Emp. No. 1464), holding the cadre post of Registrar-cum-Principal Private Secretary at High Court, Allahabad, in the Pay Matrix of Level 13A (as per Seventh Pay Commission), is hereby appointed on the ex-cadre post of Principal Private Secretary (Administration), High Court, Allahabad, in the same Pay Matrix, *w.e.f.* 01.05.2024.

May 01, 2024

No. 14–From the date of taking over charge, the following Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV of High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Registrar-cum-Principal Private Secretary, in the pay scale of Level-13A (1,31,100–2,16,600) as per 7th Pay Commission–

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	1459	Sri Ram Asrey Morya	In the vacancy occurred on account of Handing Over Charge from the post of Registrar-cum-P.P.S. by Sri Sanjeev Kumar Sachdeva (Emp. No. 1464) as he has been appointed as P.P.S. (Administration).

No. 15–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III of High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100–2,15,900) as per 7th Pay Commission–

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	1511	Sri Naseem Uddin	In the vacancy occurred on account of promotion of Sri Ram Asrey Morya (Emp. No. 1459).

No. 16–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800–2,09,200) as per 7th Pay Commission–

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3524	Sri Pramod Tripathi	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Naseem Uddin (Emp. No. 1511).

No. 17–From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700–2,08,700) as per 7th Pay Commission–

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
1	3633	Sri Mohd. Arif	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Pramod Tripathi (Emp. No. 3524).

[*The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts and repatriation of officers who are presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any*].

No. 18–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100–2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3430	Sri Anil Kumar Kushwaha
2	4041	Sri Kamlesh Kumar Singh

No. 19–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, are hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, in pay scale of Level-12 (Rs. 78,800– 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7071	Sri Chandra Prakash Singh
2	7141	Sri Nihal Singh
3	7012	Sri Karamjeet Singh Bedi, *Lko.*

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Karamjeet Singh Bedi, *Lko.* (Emp No. 7012), will draw his salary from High Court, Allahabad upon his promotion as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III. Further, Sri Lal Amarender Shekher (Emp No. 7570), A.R.-cum-B. S. Gr-II, presently posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court, Allahabad, shall draw salary from High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.)

By order of the Hon'ble Court,
Rajeev Bharti,
Registrar General.

CONFIDENTIAL 'A' SECTION

NOTIFICATION

March 30*,* 2024

No. C-185/Cf.(A)/2024–In exercise of the powers conferred by Rule 27 of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended up to date) and all other powers enabling in this behalf, the Hon'ble Court is pleased to grant Selection Grade Pay Scale of ₹ 57,700-1,230-58,930-1,380-67,210-1,640-70,290 to Shri Vinod Kumar Bishnoi, the then Additional District & Sessions Judge (since retired on 28.02.2001) *w.e.f.* 05.05.1999, *i.e.* the date from which his immediate junior Shri Ajit Kumar Tiwari was granted Selection Grade Pay Scale, till the date of his retirement *i.e.* on 28.02.2001, against one supernumerary post created by the State Government vide Govt. O.M. No. 1275/दो-4-2023 dated 19.03.2024, subject to writ petition/ltigation, if any, pending in the Hon'ble Apex Court/Hon'ble High Court in this regard and also subject to final determination of seniority of the officer, in case not finalized.

By order of the Court,
Rajeev Bharti,
Registrar General.

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 19 जनवरी, 2024 ई0 / 29 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/ललितपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 226-ललितपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 226-ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री हरिओम जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 226-ललितपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री हरिओम को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री हरिओम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर द्वारा अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 497/19-निर्वाचन व्यय/वि0स0सा0नि0-22/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 582/19-निर्वाचन व्यय/वि0स0सा0नि0-22/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री हरिओम ने दिनांक 05 जनवरी, 2023 को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें अभ्यर्थी ने कहा कि व्यय लेखा जमा करा दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त अभ्यावेदन दिनांक 05 जनवरी, 2023 पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि अभ्यर्थी का कथन मिथ्या है और अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हरिओम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 226-ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री हरिओम निवासी गौशाला अखाडे के पीछे, तालाबपुर, ललितपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

बिनोद कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

नवदीप रिणवा,

प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *19th January, 2024* / *29th Pausha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Lalitpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 226-Lalitpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 226-Lalitpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Lalitpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Sh. Hariom, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 226-Lalitpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Lalitpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 11 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Hariom for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 11 November, 2022, Sh. Hariom was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 05 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Lalitpur, *vide* its letter no. 497 / 19-निर्वाचन व्यय / वि0स0सा0नि0-22 / 2022 dated 19 December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Lalitpur in his Supplementary Report, *vide* its letter 582 / 19-निर्वाचन व्यय / वि0स0सा0नि0-22 / 2022 dated 04 March, 2023 has reported that Sh. Hariom had given a representation on 05 January, 2023 in which the candidate said that the candidate's statement in his representation is false and the candidate has not filed the account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Hariom has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Hariom resident of Gaushala Akhada ke Pichhe, Talabpur, Lalitpur a contesting candidate from 226-Lalitpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

NAVDEEP RINWA,

Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 30 जनवरी, 2024 ई0 / 10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कासगंज/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 100-कासगंज विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 100-कासगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 100-कासगंज से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए कुलदीप कुमार को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए कुलदीप कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज द्वारा अपने दिनांक 16 अगस्त, 2023 के पत्र संख्या 240/डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022/नि0व्यय अनु0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी श्रीमती प्रभा पाण्डेय द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 399/डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022/नि0व्यय अनु0 1 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुलदीप कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि कुलदीप कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 100-कासगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी कुलदीप कुमार निवासी ग्राम-हरनेथर, पोस्ट-पचगई, जिला-कासगंज, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

बिनोद कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

नवदीप रिणवा,

प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *30th January, 2024* / *10th Magha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kasganj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 100-Kasganj Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 100-Kasganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kasganj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Kuldeep Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 100-Kasganj Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kasganj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Kuldeep Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19 December, 2022, Kuldeep Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate,s wife Smt. Prabha Pandey on 10 August, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kasganj, *vide* its letter no. 240 / डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022 / नि0व्यय अनु0 dated 16 August, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kasganj in his Supplementary Report, *vide* its letter 399 / डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022 / नि0व्यय अनु0 dated 17 October, 2023 has reported that Kuldeep Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Kuldeep Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Kuldeep Kumar resident of Gram-Harnather, Post-Pachgai, Dist.-Kasganj, a contesting candidate from 100-Kasganj Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

NAVDEEP RINWA,

Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 30 जनवरी, 2024 ई0 / 10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कासगंज/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 102-पटियाली विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 102-पटियाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती मीरा रानी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 102-पटियाली से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती मीरा रानी को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती मीरा रानी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज द्वारा अपने दिनांक 16 अगस्त, 2023 के पत्र संख्या 240/डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022/नि0व्यय अनु0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 399/डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022/नि0व्यय अनु0 1 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती मीरा रानी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मीरा रानी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 102-पटियाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती मीरा रानी निवासी मोहल्ला कतम राजा साहब, पटियाली, तहसील पटियाली, जिला-कासगंज, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

बिनोद कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

नवदीप रिणवा,

प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *30th January, 2024*

10th Magha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Kasganj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 102-Patiyali Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 102-Patiyali Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kasganj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Smt. Meera Rani, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 102-Patiyali Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kasganj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19 October, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Meera Rani for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19 October, 2022, Smt. Meera Rani was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 08 November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kasganj, *vide* its letter no. 240 / डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022 / नि0व्यय अनु0 dated 16 August, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kasganj in his Supplementary Report, *vide* its letter 399 / डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022 / नि0व्यय अनु0 dated 17 October, 2023 has reported that Smt. Meera Rani has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Meera Rani has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Meera Rani resident of Mohalla Katara Raja Sahab,

Patiyali Tehsil Patiyali District-Kasganj, a contesting candidate from 102-Patiyali Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

NAVDEEP RINWA,

Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 30 जनवरी, 2024 ई0 / 10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/कासगंज/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 102-पटियाली विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 102-पटियाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कमलेश कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 102-पटियाली से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कमलेश कुमार को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कमलेश कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज द्वारा अपने दिनांक 16 अगस्त, 2023 के पत्र संख्या 240/डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022/नि0व्यय अनु0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कासगंज द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 399/डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022/नि0व्यय अनु0 1 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कमलेश कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कमलेश कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 102-पटियाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कमलेश कुमार निवासी ग्राम-पीतम नगर हदौरा, पोस्ट-नरदोली, जिला-कासगंज, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

बिनोद कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

नवदीप रिणवा,

प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *30th January, 2024* / *10th Magha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kasganj/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 102-Patiyali Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 102-Patiyali Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Kasganj, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Kamlesh Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 102-Patiyali Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kasganj, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19 October, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Kamlesh Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19 October, 2022, Shri Kamlesh Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 08 November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kasganj, *vide* its letter no. 240 / डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022 / नि0व्यय अनु0 dated 16 August, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kasganj in his Supplementary Report, *vide* its letter 399 / डी0ई0ओ0-वि0स0नि0 2022 / नि0व्यय अनु0 dated 17 October, 2023 has reported that Shri Kamlesh Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Kamlesh Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Kamlesh Kumar resident of Village-Peetam Nagar Hadsura, Post-Nardoli, District-Kasganj, a contesting candidate from 102-Patiyali Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–64 निर्वाचन–07.06.2024–100 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत, माँ कामाख्या, अयोध्या

उपविधि

12 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 235(1)/न0पं0माँ0का0/2प्रति0-उपविधि/2023-24—नगर पंचायत माँ कामाख्या की मा0 सदन की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के प्रस्ताव संख्या-17 के क्रम में नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0ऐक्ट संख्या- 2,1916) की धारा 128 (1) के उपखण्ड (13 ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत माँ कामाख्या अयोध्या ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु नियमावली बनायी गयी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 131(3) के अन्तर्गत आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से कार्यालय पत्र संख्या-139/न0पं0 माँ कामाख्या/2023-24 दिनांक 04 जनवरी, 2024 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया है जो दैनिक जागरण-पत्र में प्रकाशित है। प्रकाशन के उपरांत 30 दिवस के भीतर आपत्ति/सुझाव मांगा गया था। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। तदोपरांत उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी, जो निम्नवत् है–

नियमावली

1– संक्षिप्त शीर्श नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–

(1) यह नियमावली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखे पर कर उगाहने से सम्बद्व नियमावली कहलायेगी।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

(3) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2– **परिभाषायें**– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत माँ कामाख्या से है।

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) ''इण्डियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899) से है।

(ङ) ''नगरपालिका/नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत माँ कामाख्या अयोध्या से है।

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत मॉ कामाख्या के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत माँ कामाख्या के अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।

(ज) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3–नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4–**कर के लेखे रखना**–निबंधक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क व कर दिखायेगा।

5–निबंधन अधिकारी, जो दिवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियॉ प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

6–निबंधन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबंधक को उपयुक्त प्रत्येक महीने के पॉचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

7–(1) नगर पंचायत माँ कामाख्या की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत, माँ कामाख्या को लौटा दी जायेगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, माँ कामाख्या अयोध्या प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद को फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या-19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) पालिका निबंधन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

(3) **कर लगाने की प्रक्रिया**–उक्त वृद्वि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी–

1–जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरे–

निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये हैं–

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2–यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् व दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128क की उपधारा (4) धारा नगरपालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

8–**अभिलेखों का निरीक्षण**–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

9–इस उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष में निहित होगा।

शास्ति

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत माँ कामाख्या, जनपद-अयोध्या यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन अर्थदण्ड लिया जायेगा, जो रु0 10,000.00 हो सकता है।

शीतला प्रसाद शुक्ल,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत माँ कामाख्या,
अयोध्या।

कार्यालय, नगर पंचायत, महोली, सीतापुर

20 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 115/न0पं0म0/2024-25–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(1) व 126(10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत महोली, सीतापुर ने अपनी बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या-02 दिनांक 12 जनवरी, 2024 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर स्वकर निर्धारण हेतु शासनदेश संख्या-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2024 बनायी गयी है जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार ''हिन्दुस्तान'' दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 एवं दैनिक समाचार-पत्र ''अमृत विचार'' दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 में प्रकाशित कराते हुए आपत्ति एवं सुझाव में आमन्त्रित किये गये थे, निर्धारित अवधि, 15 दिन तक कार्यालय नगर पंचायत महोली को कोई भी आपत्ति एवं सुझाव न प्राप्त होने की दशा में नगर पंचायत बोर्ड बैठक के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 10 जनवरी, 2024 द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निम्नवत् उपविधि उ0प्र0 साधारण गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी/लागू मानी जायेगी।

स्वकर निर्धारण गृहकर/जलकर नियमावली/उपविधि 2023

नगर विकास अनुभाग-9 की शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक-18 मार्च, 2011 द्वारा नगर पंचायत महोली स्वकर निर्धारण नियमावली-2020

1– यह नियमावली नगर पंचायत महोली की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली, 2020 कही जायेगी।

2– यह नियमावली नगर पंचायत महोली की सीमा में लागू होती है।

3– "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत महोली से है।

4– "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत महोली के अधिशासी अधिकारी से है।

5– "प्रशासक/बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत महोली के प्रशासक/बोर्ड से है।

6– "अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत महोली के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

7– "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

8– "शासनादेश" का तात्पर्य उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों से है।

9– कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत महोली की सीमा में भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर का निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिये नगर पंचायत महोली से एक आवेदन पत्र (प्रपत्र क और प्रपत्र ख) प्राप्त करके अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गई निर्धारित दर के अनुसार स्वयं स्वकर निर्धारण करेंगे।

10– आवेदन-पत्र (प्रपत्र क और प्रपत्र ख) नगर पंचायत महोली से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

11– जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा, तो उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत महोली जनपद-सीतापुर द्वारा की जायेगी।

12– भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासियों द्वारा आवेदन-पत्र में गलत तथ्य/सूचना देने पर उसको रुपये 3000 से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

13– **भवन**–इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित हैं तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर की भूमि सहित भवन कहा जायेगा और भवन का तात्पर्य सं0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14– "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15– "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी के उपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16– कवर्ड/कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी–

(1) **कमरे**–आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।

(2) **आच्छादित बरामदा**–आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।

(3) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह-आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(4) **गैराज**–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(5) स्नाना गृह, शौचालय पोर्टिको और जीने से अच्छादित क्षेत्र-कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कवर्ड/कारपेट एरिया-आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

6–**कर का निर्धारण**–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

1– वार्षिक मूल्य की गणना वार्षिक मूल्य=कवर्ड/कारपेट एरिया x निर्धारण प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल x निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल का किराया दर x 12 x 80%

2– **करों का भुगतान**–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमे एक ऐसा दिन निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत महोली जनपद-सीतापुर कार्यालय अथवा उसके द्वारा अधिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया

जायेगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की दशा में नियमावली में दी गई शास्ति तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा-173 (क) की कार्यवाही कर खर्च तथा व्यय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

3– यह कि नगरपालिका बोर्ड की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो, नगरपालिका अधिनियम की धारा-158(1)(2) के अर्न्तगत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे मे विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4– इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे मे नगर पंचायत महोली यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी भी प्राविधान का दुरुपयोग परिषद् द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को निरस्त करनें, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत महोली का होगा।

5– स्वतः अध्यासित भवनों के लिये छूट।

6– 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

7– 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

8– 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

9– **किराये पर उठे आवासीय भवन**– किराये के भवनों में वास्तविक वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर पर देय होगा, परन्तु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-140(2) में यह प्रतिबन्ध है, कि जहां नगर पंचायत किराये में किसी कारण से आसाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

10– **व्यवसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य**– सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला लकड़ी, कृषि उपकरणों के विक्रय केन्द्र, शीतगृह, रिजार्ट, होटल व वेब-साईट, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, जलपान गृह, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0 पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस, अधिष्ठान, भण्डारण तथा गोदाम निजी कार्यालय बैंक वाणिज्य कार्यालय से है।

11– औद्योगिकी सम्पत्तियों से तात्पर्य सेवा/कुटीर उद्योग, पावरलूम, कारखाना, चीनी मिल, सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी/एल0पी0जी0 व फीलिंग प्लांट, विद्युत उत्पादन/संयत्र/केन्द्र आदि से है।

12– **इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य**–राजकीय, अर्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0 पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र अतिथि गृह, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रैन बसेरा, लॉजिंग, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैंडीकैप, चिल्ड्रेन हाउस, शिशु गृह एवं दिवस देख-भाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान।

13– उच्च माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्नि शमन केन्द्र, पुस्तकालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि। आडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योग, सामूदायिक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र, बारात घर, कान्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रर्दशनी केन्द्र, रेडियो व टेलीवीजन कार्यालय/केन्द्र नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट–जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क व जनहित में कार्य कर रही हैं, वे कर से मुक्त होगी। परन्तु जिस धार्मिक/राजनीतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा, उस पर कर देय होगा।

14– **रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**– रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत महोली प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अनुसार नहीं किया जायेगा, ऐसे भवनों के करों की देयता उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अर्न्तगत शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0मा0/04 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 18 मार्च, 2011 के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

15– जिन भवनों/व्यवसायिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर/जलकर का भुगतान करना होगा।

16– **करों में छूट–**

17– गृहकर/जलकर की देयता वार्षिक होगी। 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य कर जमा कर दिये जाने की दशा में 10 प्रतिशत् की छूट अनुमन्य होगी। इसके पश्चात् कर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

18– सम्बंधित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर/जलकर पर 12 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।

19– विशेष परिस्थितियों में आर्थिक स्थिति को देखते हुए व्यक्ति के करों में कटौती करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।

20– सम्बंधित सूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बंध में कोई त्रुटिपूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी/अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुना धनराशि, शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी। निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर/200 वर्ग मीटर/400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः 1,000.00/2,000.00/3,000.00/5,000.00 रुपये तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 05 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

21– भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुर्ननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में वृद्धि होने पर तथा भवन के व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र ख में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अथवा इसमें किसी प्रकार की चूक करने पर सम्पत्ति कर दुगनी धनराशि अथवा रुपया 100/– प्रतिदिन की दर से जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करना होगा।

22– जिन भवनों/भूमि को नगर पंचायत महोली जनपद-सीतापुर द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र ''क'' और प्रपत्र ''ख'' पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर आदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र ''क'' के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया कर भी जमा करेंगे।

23– **मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी नियम**–कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रपत्र के साथ साक्ष्य सहित नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क जमाकर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करनें हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में आवेदन-पत्र में किया जायेगा अन्यथा उसके वाद कर सूची में आवेदन एवं साक्ष्य के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

24– मकानों के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम–

25– यदि किसी भवन अथवा भूमि पर जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तान्तरण होता है तो स्वामित्व हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति तथ संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तान्तरण के तीन माह के अन्दर उसकी सूचना साक्ष्य सहित नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र आवेदन-पत्र अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

26– यदि किसी कर दाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर इसकी लिखित सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन-पत्र साक्ष्य सहित अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

27– यदि किसी भूमि/भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देनें में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करनें पर उसे अधिकतम मु0-1,000/– प्रतिवर्ष अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

28– विक्रय-पत्र व दान पात्र के आधार पर आवेदन नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसका शुल्क 02 प्रतिशत मालियत या विक्रय से जो अधिक होगी जमा करने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

29– **कर निर्धारण दर–**

30– गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत् तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत् देय होगा।

31– किसी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासित भवन जो 30 वर्गमीटर या 322.8 वर्गफुट की माप वाले तथा 15 वर्गमीटर या 161.4 वर्गफुट तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हो, उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत महोली में सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड हो वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी, कर से मुक्त होंगे।

32– **जलकर**– जलमूल्य के जलकर से अधिक होने की स्थिति में जलमूल्य देय होगा तथा जलमूल्य जलकर से कम हेाने की स्थित में जलकर देय होगा।

33– **मुख्य मार्ग से तात्पर्य**– मुख्य सड़क, प्रान्तीय मार्ग।

34–**अन्य मार्ग से तात्पर्य**– मुख्य मार्ग से अन्दर मोहल्ला/कालोनी में जानें वाली सड़कें अन्य मार्ग में आयेगी।

35– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महोली द्वारा नगर पंचायत महोली सीमा में स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन नीचे दिये गये न्यूनतम दरों पर निर्धारित की जायेगी।

36– **न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण**– अधिशासी अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया को प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के कारपेट एरिया को प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुये नियत करेगा–

(क)– भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और

(ख)– ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में प्रचालित दैनिक समाचार-पत्र के माध्यम से अधिसूचित करेगा, और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिवस का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों को 15 भिन्न-भिन्न बंण्डलो का अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्ड वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियां रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं अधिशासी अधिकारी द्वारा या अधिशासी अधिकरी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत् व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्याक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जायेगा। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चत किया जायेगा।

(ग)– सम्पत्ति का (गृहकर/जलकर) स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर पंचायत महोली, जनपद सीतापुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वार्डों/मोहल्ले के भवनों/भू-खण्डों की प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर निम्नवत् है–

सड़क चौड़ाई	आर0सी0सी0/आर0बी0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन हेतु	अन्य पक्का भवन हेतु	कच्चा भवन हेतु	रिक्त भूमि/भू-खण्ड हेतु
1	2	3	4	5
	रु0	रु0	रु0	रु0
10.1 मीटर से अधिक मार्ग पर स्थित भवन/भूमि	0.75	0.50	0.25	0.20
3.1 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि	0.50	0.25	0.20	0.10
3 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि	0.30	0.20	0.15	0.05

वार्डों के नाम–गौतमबुद्ध नगर वार्ड संख्या-02 विकास नगर, वार्ड संख्या-03 आजाद नगर, वार्ड संख्या-04 मास्टर कालोनी पूर्वी, वार्ड संख्या-05 जयदेवी नगर, वार्ड संख्या-06 मिल कालोनी पूर्वी, वार्ड संख्या-07 कृष्णा नगर, वार्ड संख्या-08 महाराणा प्रताप नगर, वार्ड संख्या-09 मास्टर कालोनी पश्चिमी, वार्ड संख्या-10 आदर्श नगर, वार्ड संख्या-11 मिल कालोनी पश्चिमी, वार्ड संख्या-12 शक्ति नगर, वार्ड सख्या-13 स्वर्ण नगर, वार्ड संख्या-14 शास्त्री नगर, वार्ड संख्या-15 नया अढौरा, वार्ड संख्या-16 नया जलालपुर, वार्ड संख्या-17 नया अढौरी। (सीमा विस्तारित वार्डो में शासकीय निर्देशों के अनुरुप)।

भवन/भूमि अनावासिक/व्यवसायिक हो अथवा भागतः भाग अनावासीय होने की दशा में उक्त अनावासीय भवन/भूमि/भवन के भाग हेतु निर्धारित प्रति वर्ग फीट क्षेत्रीय आवासीय दरों में गुणांक निम्न प्रकार लागू होगा–

(1) प्रत्येक वाणिज्य काम्पेलक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक कार्यालय, होटल 0 से 3 स्टार, निजी होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) गुणांक 5 गुना।

(2) प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डाइग्नोटिक्स केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्चा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, डिपो गोदाम, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब इसी प्रकार के अन्य भवन, औद्योगिक मील/कारखाना, चीनी मिल, सरकारी, अर्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यालय 4 गुना।

(3) टावर, होर्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर शिखर पर या खुले स्थान प्रति स्थापित किये गये है 4 गुना।

(4) माल्स, 4 सितारा व उसके उपर के होटल, पब्स बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती है 6 गुना।

(5) क्रीडा केन्द्र जैसे–जिम, स्वास्थ केन्द्र, थियेटर, छात्रावास, लाज, व्यावसायिक उद्देश्य से आवासीय किरायेदारी-3 गुना

(6) अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं 3 गुना।

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत महोली, जनपद सीतापुर निश्चत करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्ड़नीय अपराध होगा, जो 1,000 (एक हजार) रुपये जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड़ देय हेगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

श्रीश मिश्र,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत महोली,
सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हर हर महादेव ट्रांसपोर्ट ग्राम व पो0–देवरिया खास जनपद देवरिया उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 12 फरवरी, 2020 से श्री आशीष जायसवाल एवं श्री राजेश जायसवाल जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 जी-2107 पर पंजीकृत हैं। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 02 अप्रैल, 2024 से श्री आशीष जायसवाल जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके है तथा श्री अजय त्रिपाठी जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। अब साझेदारी डीड दिनांक 02 अप्रैल, 2024 से उक्त फर्म में क्रमशः श्री राजेश जायसवाल एवं श्री अजय त्रिपाठी जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

राजेश जायसवाल,
साझेदार,
मेसर्स हर हर महादेव ट्रांसपोर्ट,
ग्राम व पो0–देवरिया खास,
जनपद देवरिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''रहमान राइस मिल'', ग्राम लाला नगला केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को मो0 सलीमुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन, अब्दुल हसन पुत्र अब्दुल राशिद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को सलीम अहमद पुत्र नसीर अहमद, युसुफ अली पुत्र मो0 नूर, शबाना जलाल पत्नी सलीम अहमद, जहूर अहमद पुत्र मो0 नूर शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं हैं तथा अब वर्तमान में सात पार्टनर अमीरूद्दीन, नत्थू अहमद, मेंहदी हसन, युसूफ अली, सलीम अहमद, शबाना जलाल व जहूर अहमद रह गये हैं।

अमीरूद्दीन,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''रहमान राइस मिल'',
ग्राम लाला नगला केमरी बिलासपुर,
जिला रामपुर, (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सफीना इन्टरप्राइजेज, पता काजी लाज भण्डार कुआँ, मो0 सोथा बदायूँ–243601 जिसकी पंजीकरण सं0-B13118 में दिनांक 15 जून, 2018 को अन्य साझेदारों की सहमति से मो0 अबुजर हमजा व मोहम्मद खुसरो मोहिउद्दीन काजी को फर्म में नये साझेदारों के रूप में जोड़ा गया। दिनांक 11 जून, 2021 को साझेदार मोहम्मद खालिद पुत्र श्री मंजर हुसैन निवासी अल्लाहपुर जिला बदायूँ की मृत्यु हो गयी। फर्म में वर्तमान में अब कुल 7 साझेदार मो0 अली हमजा, मो0 गुफरान, मो0 रिजवान, मो0 अजहर, मो0 जुबेर, मो0 अबुजर हमजा, मोहम्मद खुसरो मोहिउद्दीन काजी है।

मो0 अली हमजा,
साझेदार,
फर्म मेसर्स सफीना इन्टरप्राइजेज,
पता काजी लाज भण्डार कुआँ,
मो0 सोथा बदायूँ-243601।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 बाबा सेफ्टी ग्लास, 133 अपो0 इण्डियन गैस एजेन्सी, सींगना बुर्ज पो0 कीठम, तह0 किरावली, जिला आगरा में स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री शहादत, श्री मोहम्मद अयाज, श्री मसीनुद्दीन, श्री अब्दुल रहमान हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्री दिगपाल सिंह फर्म में साझेदार हो गये है। अब फर्म को श्री शहादत, श्री मोहम्मद अयाज, श्री मसीनुद्दीन, श्री अब्दुल रहमान, श्री दिगपाल सिंह हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

शहादत,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे माता पिता का सही नाम क्रमशः HUSNA KHATOON (हुस्ना खातून) तथा NAFEES AHMAD (नफीस अहमद) है जो कि इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मेरे हाई स्कूल के शैक्षिक प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र जिसका (अनुक्रमांक 23611842) मे मेरे माता पिता का नाम क्रमशः HUSNA BANO (हुस्ना बानो) तथा NAFEES AHMED (नफीस अहमद) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

मो0 मुनीर आलम पुत्र नफीस अहमद,
निवासी मंसूरगंज बहराईच उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पवन सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-2597 1096 8117 में कुशाग्र सिंह अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को पवन सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

उग्रसेन सिंह,
पुत्र स्व0 राम सुख सिंह,
नि0-परसपुर पो0 बुढ़ानपुर,
तह0 जखनियां जिला–गाजीपुर।

NOTICE

This is informed to the general public that in the High School Marksheet and Certificate of my daughter Manvi Dwivedi her Mother's name Priya Dwivedi has been mentioned, which is the name of the house, her pure and correct name is Brinda Dwivedi which is mentioned in her Aadhar Card and educational records, similarly my name Devendra Dwivedi which is impure and wrong, my pure and correct name is Devendra Kumar Dwivedi which is mentioned in my educational record, Aadhar Card, Pan Card and other documents.

Devendra Kumar Dwivedi
Shankargarh, Bara
Distt. Prayagraj.

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।